

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- जनपद अरमोड़ा के सुदरी - के जाली - मस
भोर बाग

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम = सुदरी
तहसील हमले, जिला कठकोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अरमोड़ा के अन्तर्गत सुदरी परियोजना के निर्माण हेतु (X हे० आरक्षित वन भूमि, X हे० सिविल सोयम भूमि 2.207 हे० वन संचायत भूमि 0.837 हे०) अर्थात् कुल 3.044 हे० वन भूमि का अनापत्ति विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सुदरी द्वारा दिनांक 1-3-2017 के सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सुदरी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि पर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हो
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम सचिव
दि० २६० स्यान्डे (अरमोड़ा)

हो
ग्राम पंचायत मुखती
मुखती दि०/स्यान्डे (अरमोड़ा)
ग्राम प्रधान

नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

दिनांक 1-3-2020 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत चिचरी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	बुधामसिंह	बुधामसिंह
2	धनीराम	धनीराम
3	शम्भू प्रसाद	शम्भू प्रसाद
4	जगत राम	जगत राम
5	बुधारीराम	Budhar Ram
6	गोविन्दसिंह	गोविन्दसिंह
7	नारसिंह	नारसिंह
8	कल्याणसिंह	कल्याणसिंह
9	धनसिंह	धनसिंह
10	नन्दनसिंह	नन्दनसिंह
11	सुशान्तसिंह	सुशान्तसिंह
12	मोहनराम	मोहनराम
13	नन्दनसिंह	नन्दनसिंह
14	दबिन्द्रसिंह	दबिन्द्रसिंह
15	कुकरासिंह	कुकरासिंह
16	दातारसिंह	दातारसिंह
17	कुन्दनसिंह	कुन्दनसिंह
18	कुन्दनसिंह	कुन्दनसिंह

हस्ताक्षर
ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत चिचरी
पौ. चिचरी वि. स. स्याहदे (अ. 8. 1. 1)
80/-
ग्राम प्रधान

दिनांक 1-3-0/5 को ग्राम सभा की सम्पूर्ण बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत सुरमा की प्रशासक

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	देव सिंह	देव सिंह
2.	लुशाप सिंह	20/2/16
3.	भोजन सिंह	18-5
4.	गामाप सिंह	21.2.16

ग्राम प्रधान / सरपंच

धन सिंह
सरपंच

H.S. Rawat
प्रधान 7/3/16

ग्राम पंचायत सुरमा की, सक्षम समिति
पं० देवाट राट - भिकुदेव
जिला अल्मोड़ा

ग्राम पंचायत-सुरमा
वि० ख० स्याल्दे-अल्मोड़ा

परियोजना का नाम -

जंगल अन्वेषण में धुसी केलासी-पसेफेली और पारी

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण - पत्र

ग्राम पंचायत का नाम सुरमोली
तहसील स्यारदे जिला सुरमोली
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत अल्मोड़ा परियोजना के निर्माण हेतु (1.044 हे०) आरक्षित वन भूमि अल्मोड़ा हे० सिविल सोयम नूनि 0.207 हे० वन पंचायत भूमि 0.837 हे०) अर्थात् कुल 1.044 हे० वन भूमि का अल्मोड़ा विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सुरमोली द्वारा दिनांक 1-3-11 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोजता एजेंसी द्वारा आरक्षित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आरक्षित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी वन कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सुरमोली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि अल्मोड़ा प्रयोजता एजेंसी को परियोजना के निर्माण हेतु दिखे जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम सचिव

सरपंच सुरमोली
वन पंचायत सुरमोली
वि० ख० स्यादे (अल्मोड़ा)

ग्राम प्रधान / सरपंच
मुहर सहित

सुरमोली
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत सुरमोली
वि० ख० स्यादे (अल्मोड़ा)

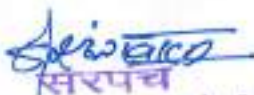
सुरमोली
प्रधान 13/16
ग्राम पंचायत-सुरमोली
वि० ख० स्यादे-अल्मोड़ा

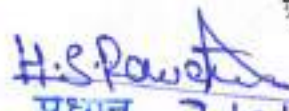
पंजा

प्रारूप -23.1

दिनांक 1-03-15 को ग्राम सभा की मसुदा बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत सुरमोली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	बृजलाल सिंह शंकर	
2-	शंकर सिंह	
3-	गोपाल सिंह बिहारी	गोपाल सिंह


सरपंच
ग्राम पंचायत सुरमोली
वि० ख० स्याल्दे (अल्मोड़ा)

ग्राम प्रधान / सरपंच

H.S. Rawat
प्रधान 2/3/16
ग्राम पंचायत-सुरमोली
वि० ख० स्याल्दे-अल्मोड़ा

परियोजना का नाम -

जनपद अल्मोड़ा में धुली केलानी - मसमोली मोटर रोड

इन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण - पत्र

ग्राम पंचायत का नाम चक केलाणी
तहसील समाली जिला अल्मोड़ा
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत उपरोक्त परियोजना के निर्माण हेतु
* 80 आरक्षित वन भूमि * 80 सिविल सोफ्ट भूमि 0.207 हे० वन पंजीयत भूमि 0.837 हे० अर्थात् कुल 1.044
हे० वन भूमि का खोली विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, प्रधानमंत्री एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्याशित करने हेतु आवेदन
प्रस्तुत किया गया।

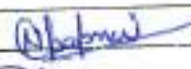
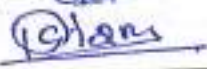
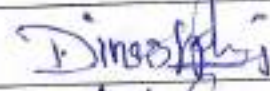
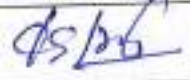
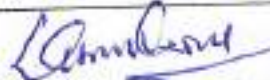
उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चक केलाणी द्वारा दिनांक 1-3-03 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक
में प्रयोज्यता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार
अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी भी आदिवासी का जंगल / कृषि कार्य है अथवा नहीं।
उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का जंगल / कृषि कार्य नहीं
किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।
चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पत्रित किया गया कि ग्राम चक केलाणी के
ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि खोली प्रयोज्यता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु देने पर कोई आपत्ति नहीं है।

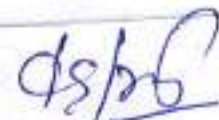
प्रमुख अधिकारी
ग्राम पंचायत चक केलाणी
ग्राम पंचायत चक केलाणी
पिन 240-254000 जिला अल्मोड़ा

चक केलाणी
हस्ताक्षर,
ग्राम पंचायत चक केलाणी,
पो० धी० - धुलीकान,
बुधबोली-चिडवासेन (अल्मोड़ा)

चक केलाणी
ग्राम पंचायत चक केलाणी
ग्राम पंचायत चक केलाणी
पिन 240-254000 (अल्मोड़ा)

दिनांक 1-3-2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
 ग्राम - केलावनी ग्राम पंचायत चक केलावनी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	नवीन चन्द / मोहन चन्द	
	दिनेश चन्द / वन्शीराम	
	केशव दत्त / तुलसीराम	केशव दत्त
	दिनेश चन्द / लीका राम	
	केलाश चन्द / नन्दकिशोर	
	गोपाल दत्त / वन्शीराम	गोपाल दत्त
	रामसिंह / हमात सिंह	


 ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत चक केलावनी,
 पो. धी. - धुलोवा, जिला - मिर्जापुर (गन्नाहा)

ग्राम प्रधान / नरपुत्र

ग्राम प्रधान
 ग्राम पंचायत चक केलावनी
 पि. 0 ख. 0 स्यादे (अल्मोड़ा)

परियोजना का नाम :- प्रपत्र-23.2
जनपद अल्मोड़ा में चिकुली-बैरानी-मधुमोही मोहवा
मधी का निर्माण

कार्यालय उप जिलाधिकारी, बिक्रमगढ़
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, रुवाले

उपखण्ड रुवाले परिक्षेत्र के अन्तर्गत चिकुली बैरानी मधुमोही मोहवा
आरक्षित (X) हे० आरक्षित वन भूमि 0.24 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि 837 हे०
यत् पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 1044 हे० वन भूमि) का
जन निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित
जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के
अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील रुवाले) की दिनांक 1-3-2015 को
सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक
श्री रुवाले, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की
अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1- श्री रुवाले उपजिलाधिकारी बिक्रमगढ़ अध्यक्ष
2- श्री रुवाले उप प्रभागीय वनाधिकारी रुवाले सदस्य
3- श्री रुवाले सहायक समाज कल्याण अधिकारी रुवाले सदस्य/सचिव
4- श्री रुवाले बी०डी०सी० क्षेत्र रुवाले सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी
की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया
कि

उपखण्ड परियोजना हेतु 1.24 हे० वन
भूमि जन निर्माण विभाग

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों
के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त
भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग
हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रुवाले द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य
परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008
के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन
अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया
है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड

रुहाल्दे

परिक्षेत्र के अन्तर्गत

परियोजना के निर्माण हेतु 1.044

हे० वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

तहसीलदार स्याल्दे
जिला-अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अल्मोड़ा

जिला अधिकारी
अल्मोड़ा.

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- स्याल्दे
जनपद- अल्मोड़ा

उप जिलाधिकारी स्याल्दे

जनपद-अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- स्याल्दे
जनपद- अल्मोड़ा

उप जिलाधिकारी स्याल्दे
जनपद-अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र 23.3

जिलाधिकारी, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड

1. परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा के छिदती कैलासी मसमोरी मोटर मार्ग

वन अधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत जनपद स्तरीय बैठक दि० के अनुसार प्रमाण-पत्र।

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत वनभूमि पर प्रस्तावित छिदती कैलासी मसमोरी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.044 है० वनभूमि का अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत, प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति, अल्मोड़ा तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहीत नहीं हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

✓ विभागाध्यक्ष कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

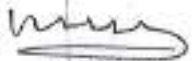
03/03/21
जिलाधिकारी
अल्मोड़ा

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Suman, I.A.S. Deputy Commissioner, Almora on date.....03.03.15.....at time.....3.10 PM.....at Almora, in which application claiming rights of area measuring 1.44 hect. for the Construction of Shyamsi-Kailani-Naxwoli Water Res. of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Almora sub division were discussed to consider the same of admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above for diversion of land for the said purpose.

Place : Almora

Date :


03/03/15
Signature

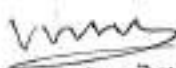
(Full name of the official seal of the District Collector)

जिला अधिकारी
अल्मोड़ा

It is further certified that

S.N.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire ^{1.044} het. of forest area proposed for diversion/copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights committee(s) and the District level Committee are enclosed annexure 1 to annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribus and other Traditional forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for Facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been Complete and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers there is no objection certificate of concerned motor road is affixed in the forest file
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and preagricultural communities.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Encl:As above


03.03.15
Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

FORM-1
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector : Almora

No :

Dated:

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest(MoEF), Government of India's letter No:- 11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers(Recognition of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 where in MoEF issued certain relaxation in respect of liner projects. It is certified that 1.044 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development PHA Dept. Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Shyapuri Kailani Gram Panchayat Road

(Purpose for diversion of forest land) in Almora district falls within jurisdiction of Kailani village(s) in Syalta Tehsils.

It is further Certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.044 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights Committee(s), Gram sabha(s), Sub-Division Level committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure I to-annexure.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) to the FRA have completed and the Gram sabhas given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized of primitive Tribal Groups and pre-agricultural communities.

Encl:As above

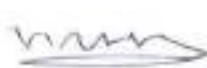

Tehsildar


S.D.M.

उप जिलाधिकारी

जन्मपद - जन्म

(Full name of the official seal of the District Collector)


03.03.15
जिला अधिकारी

Signature